न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 11 / 2025
जी.सी.एस.एस. नं. : 2025 / 24

देवैन्द्र सिंह बनाम जसवीर कौर आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए,209 राज.काश्त.अधि., 1955

उपस्थिति :–

1. श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 1)
2. श्री प्रवीण चुघ, श्री विजय जसूजा, अधिवक्ता अप्रार्थी(वादीग)

–:: आदेश प्रार्थना पत्र ::–
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

दिनांक : 27.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रतिवादी सं. 1 जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवानी प्रकरण का वाद पत्र वादी ने तथाकथित वसीयत दिनांक 11–6–2007 के आधार पर माननीय अदालत में पेश किया गया है। जबकि वादी द्वारा पूर्व में वर्ष 2017 में भी इसी वसीयत को आधार बनाते हुऐ माननीय अदालत मे वाद पेश किया गया था तथा प्रतिवादीया स–1 द्वारा वसीयत को अपने अधिकारो के प्रति प्रभावहीन, प्रभावशुन्य घोषित करवाने बावत सिविल न्यायाधीश मे वाद पेश किया गया था। जिसमें वादी व प्रतिवादीया सं–1 के मध्य राजीनामा हो गया था। वादी का प्रतिवादीया सं–1 के साथ इस आधार पर राजीनामा हुआ था कि डोगरसिंह के नाम की उक्त कृषि भूमि का प्रतिवादीया सं–1 के नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज होने के बाद प्रतिवादीया सं–1 वादी को 2 बीघा का बैयनामा करवाऐगी तथा राजीनामा प्रतिवादीया सं–1 द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया था। उसी रोज दिनांक 13–11–2024 को वादी ने प्रतिवादीया सं–1 के पक्ष में इस आश्य का एक दस्तावेज ईकरारनामा / राजीनामा तहरीर किया था कि वादी द्वारा वसीयत के आधार पर एक वाद पत्र राजस्व न्यायालय में पेश किया था जिसमें हमारा यह राजीनामा हुआ है कि वसीयत इंतकाल दर्ज होने पर वादी प्रतिवादीया सं–1 जसवीरकौर के नाम से 2 बीघा का बैयनामा करवा देगा। दिनांक 13–11–2024 को दोनो के मध्य जब राजीनामा हो गया तो अब वर्ष 2025 मे अनवानी वाद पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही रखता है। इसलिए भी वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्ती योग्य है। वादी जो कि तेज तरार व होशियार किस्म का व्यक्ति है जो एक ही वसीयत के आधार पर बार–2 माननीय अदालत में दावा पेश कर रहा है तथा दूसरी तरफ प्रतिवादीया सं–1 से राजीनामा कर रहा है। इसलिए वादी को अनवानी वाद पेश करने का कोई वाद कारण प्राप्त नही है। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्ती योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज करने हेतु निवेदन किया।
2. वादी जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 वाद पत्र पेश करने की हद तक स्वीकार है, और राजीनामा होने के कथन इस तथ्य के साथ स्वीकार है कि [illegible] वादी के साथ विवादित भूमि का वसीयत के अनुसार वादी के पक्ष में [illegible] दर्ज करवाने हेतु मौखिक रूप से सहमत हो गई थी। प्रार्थना पत्र की [illegible] है। प्रतिवादिया संख्या 1 जसवीर कौर द्वारा [illegible] वर्णित किये है। वास्तविक [illegible] ही भिन्न भिन्न [illegible] विवादित भूमि का वसीयत के अनुसार वादी के [illegible] में इंतकाल दर्ज करवाने हेतु मौखिक रूप से सहमत हो गई थी इसी अनुसार ही वादी ने अपना पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र को अपने पुनः वाद पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए ही विड्रॉ किया था जिसे वादी ने अपने दूसरे वाद पत्र के अभिवचनों में स्पष्ट रूप से वर्णित करके ही वाद पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 अस्वीकार है। वादी का प्रतिवादिया संख्या 1 के साथ मौखिक राजीनामा हुआ था। वादी का पूर्व में प्रस्तुत वाद पत्र मेरिटस पर निर्णित नहीं हुआ था इसलिये वादी को वाद पत्र पुनः पेश करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वादी के पक्ष में हुई तथाकथित

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:37:13 IST
Reason: SelfAttested

वसीयत आज भी प्रभाव में है और किसी सक्षम सिविल न्यायालय ने वसीयत को शून्य घोषित नहीं किया है। वादी का वाद पत्र किस विधि द्वारा वर्जित है ऐसा भी कोई स्पष्ट वर्णन प्रार्थना पत्र में नहीं है। प्रार्थीया/प्रतिवादिया संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव धारा 151 सीपीसी सव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। वकील उभयपक्ष अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी प्रकरण पर पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होने का कथन किया। अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी निवेदन किया कि वसीयत आज भी प्रभावी है, प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज पेश नहीं किये है। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा हस्तगत वाद वसीयत दिनांक 11.06.2007 के आधार पर स्वंय के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत पेश किया है। वादी द्वारा वाद पत्र की मद् सं. 6 व 7 में वर्ष 2017 में न्यायालय में वाद पेश करना तथा दिनांक 21.08.2024 को पुनः वाद पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए विदड्रा किये जाना अंकित किया गया है। वाद पत्र एवं आदेशिका की प्रति वाद पत्र के साथ पेश की है। दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद भी इसी अनुतोष पर आधारित वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश किया था। पूर्ववर्ती वाद की आदेशिका दिनांक 21.08.2024 पर वादी का प्रतिवादी से राजीनामा होना अंकित है, तथा वाद वादी द्वारा विड्रा किया गया है। अब वादी पुनः उसी वसीयत के आधार पर वाद पेश किया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि समान पक्षकारों के मध्य समान अनुतोष पर आधारित वाद जो कि पूर्व में राजीनामा आधार पर विड्रा हो चुका है। अतः प्रकरण पर पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होता है। जिस कारण वाद विधि द्वारा बाधित होने से विचारण योग्य नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वाद पत्र वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 27.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:37:13 IST
Reason: SelfAttested